Website: www.rssrashtriya.org E-mail: rss.rashtriya@gmail.com

# राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय: 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर-302001
संरक्षक: सर्वश्री राजनारायण शर्मा, उमराव लाल वर्मा, रामावतार शर्मा, प्रहलाद शर्मा

(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

| रमेश चन्द्र पुष्करणा | सम्पत सिंह | घनश्याम | महेन्द्र कुमार लखारा |
|---|---|---|---|
| अध्यक्ष | सभाध्यक्ष | संगठन मंत्री | महामंत्री |
| 9460057712 | 9413344625 | 9460613672 | 9460209114 |


दिनांक – 10/06/2025

## प्रदेश कार्यकारिणी निर्वाचन विज्ञप्ति

संगठन के विधान की धारा 28 (क) के अनुसरण में सत्र 2025–26 के लिए प्रदेश कार्यकारिणी के निर्वाचन के लिए चुनाव विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है। विज्ञप्ति में जारी कार्यक्रम में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। नियत तिथि के दिन घोषित समय एवं कार्यक्रम में परिस्थितिनुसार आंशिक संशोधन निर्वाचन अधिकारी कर सकेंगे। मतदान होने की स्थिति में संभाग, जिले के प्रदेश महासमिति सदस्यों की संख्यानुसार मतदान बूथों के गठन की जानकारी 26 जून 2025 को प्रातः निर्वाचन स्थल पर चस्पा की जाएगी।

**निर्वाचन तिथि : 26 जून 2025**
**निर्वाचन स्थल : गोरक्षटीला, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़**

### प्रदेश कार्यकारिणी निर्वाचन के लिए आवश्यक निर्देश

1. **प्रदेश कार्यकारिणी के लिए निम्न पदो के लिए निर्वाचन होगा :–**

   (1) सभाध्यक्ष–1 (2) उपसभाध्यक्ष–2 (3) अध्यक्ष–1 (4) वरिष्ठ उपाध्यक्ष–1 (5) उपाध्यक्ष–विभाग द्वारा गठित प्रत्येक संभाग अनुसार–1 कुल 10 (6) उपाध्यक्ष–4 ( प्राथमिक, माध्यमिक, संस्कृत व महिला क्षेत्र से प्रत्येक से–1–1) (7) महामंत्री–1 (8) अतिरिक्त महामंत्री–1 (9) मंत्री–2 (पुरूष व महिला) (10) सचिव–4 (प्राथमिक, माध्यमिक, संस्कृत व महिला क्षेत्र से प्रत्येक से–1–1) (11) कोषाध्यक्ष–1 तथा सदस्य–(12) अध्यापक–1 (13) पंचायत समिति शिक्षक–1 (14) वरिष्ठ अध्यापक–1 (15) प्राध्यापक–1 (16) प्रधानाचार्य सदस्य–1) (17) शारीरिक शिक्षक–1 (18) प्रयोगशाला सहायक सदस्य–1 (19) महिला शिक्षक सदस्य–1 (20) संस्कृत शिक्षा सदस्य–1 (21) पुस्तकालयाध्यक्ष प्रतिनिधि–1 (22) प्रबोधक–1 (23) कंप्यूटर शिक्षक प्रतिनिधि–1 (24) पंचायत शिक्षक प्रतिनिधि–1 (25) सेवानिवृत्त शिक्षक–1
2. प्रत्येक पद के लिए प्रत्याशी को चुनाव अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन पत्र भरना होगा, जो 10/– रूपये शुल्क देकर निर्वाचन स्थल पर प्राप्त किया जा सकेगा।
3. प्रदेश महासमिति के प्रत्येक सदस्य को निर्वाचन तिथि को शिक्षक संदेश का सदस्य होना अनिवार्य होगा। चुनाव अधिकारी के पास निर्वाचन स्थल पर 100/– रूपये वार्षिक शुल्क जमा करवाकर शिक्षक संदेश का सदस्य बनाया जा सकेगा। इसके अभाव में प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किया जा सकता है। पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्यों एवं आजीवन सदस्य के नाते सम्मिलित सदस्यों पर भी यह अनिवार्यता लागू होगी।
4. यदि किसी सदस्य/पदाधिकारी के पास संगठन की किसी प्रकार की राशि, खाली या भरी रसीद बुक अथवा अन्य राशि आदि बकाया होना प्रमाणित होता है तो वह चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। निर्वाचन के पश्चात् भी उक्त प्रमाणित हो जाने पर उसका निर्वाचन निरस्त किया जा सकेगा।

### निर्वाचन का कार्यक्रम

| | | |
|---|---|---|
| मतदाता सूची प्रकाशन | : | 25 जून 2025 को प्रदेश कार्यालय एवं निर्वाचन स्थल पर |
| आपत्ति का समय | : | 26 जून 2025 को प्रात 09.00 बजे तक |
| संशोधित एवं अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन | : | 26 जून 2025 को प्रात 11.00 बजे तक |
| नामांकन प्रस्तुत करना | : | 26 जून 2025 को दोपहर 12.00 से 01.30 बजे तक |
| प्रत्याशियों की प्रथम सूची का प्रकाशन | : | 26 जून 2025 दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक |
| नाम वापस लेना | : | 26 जून 2025 को दोपहर 03.00 से 05.00 बजे तक |
| प्रत्याशियों की अन्तिम सूची का प्रकाशन | : | 26 जून 2025 को सायं काल 06.00 बजे तक |
| मतदान यदि आवश्यक हुआ | : | 27 जून 2025 को दोपहर 01.00 बजे से 03.00 तक |
| मतगणना व चुनाव परिणाम | : | मतदान के तुरन्त बाद |

(घनश्याम)
**प्रदेश संगठन मंत्री एवं संयोजक निर्वाचन समिति**